



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062025-263818  
CG-DL-E-14062025-263818

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2534]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2534]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

## सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2025

**का.आ. 2598(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1422 तारीख 26/03/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 0 से कि.मी. 15.95 (आरडीओ एसपीएसआर नेल्लोर कार्यालय) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.04.2025" को "द हंस इंडिया" और "प्रजाशक्ति" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में ग्रीनफील्ड हाईवे के कि.मी. 0 से कि.मी.15.95 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: एसपीएसआर नेल्लोर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुथुकुर					
गांव का नाम: नारिकेलापल्ले					
1	285-5	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.072845	पंचाक्षरी कोटेश्वरी डबल्यू/ओ सुब्रमण्यम (डीकेटी पट्टा इश्यूड विदे. पट्टा नो.डीकेटी1515518111062696) 285-5
गांव का नाम: इपुरु बिट-1B					
2	425-2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0020235	परुचूरु सुकन्या डबल्यू/ओ येडूडालु 425-2
3	425-2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0182113	थिन्नेलापुडी भास्कर एंस/ओ कृष्णैया 425-2
4	425-2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0445164	उप्पाला बालम्मा डबल्यू/ओ वेंकटा सुबैया 425-2
5	425-2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.0849858	थिन्नेलापुडी वेंकटा रामनैया एंस/ओ मस्थानैया 425-2
6	425-2	निजी (पट्टा)	ड्राय	0.1133144	थिन्नेलापुडी वेंकेया एंस/ओ वेंकटा सुबैया 425-2
Total				0.3358964	

[फा. सं. Nellore/Sagarmala/KPPort/LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2025

**S.O. 2598(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1422 Dated:26/03/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 15.95 in the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “ The Hans India(English) ” and “Prajasakti (Telugu)” both dated 18.04.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 0 to Km. 15.95 in the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: SPSR Nellore		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Muthukur</b>					
<b>Village: Narikellapalle</b>					
1	285-5	Private (Patta)	Dry	0.072845	Panchakshari Koteswari w/o Subramanyam (DKT Patta Issued Vide. Patta No.DKT1515518111062696) 285-5
<b>Village: Epuru Bit-1B</b>					
2	425-2	Private (Patta)	Dry	0.0020235	Paruchuru Sukanya W/o Yedukondalu 425-2
3	425-2	Private (Patta)	Dry	0.0182113	Thinnelapudi Bhasker S/o Krishnaiah 425-2
4	425-2	Private (Patta)	Dry	0.0445164	Uppala Balamma W/o Venkata Subbaiah 425-2
5	425-2	Private (Patta)	Dry	0.0849858	Thinnelapudi Venkata Ramanaiah S/o Masthanaiah 425-2
6	425-2	Private (Patta)	Dry	0.1133144	Thinnelapudi Venkaiah S/o Venkata Subbaiah 425-2
<b>Total</b>				<b>0.3358964</b>	

[F. No. Nellore/Sagarmala/KPPort/LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director